विविध वाद सं० 16/2013-14

सोनालाल मुर्मू
तुलसी रजक

क्र०सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई
5/2015	अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित। प्रश्नगत वाद अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के पत्रांक 362 दिनांक 02.09.2013 के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार अंचल अधिकारी, पीरटांड़ ने वादगत भूमि के संदर्भ में CNT Act 1908 की धारा 71A में प्रावधानों के तहत कार्रवाई हेतु एवं अंतिम निर्णय के लिए अभिलेख भेजा गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक सोनालाल मूर्मू वगैरह अंचल कार्यालय, पीरटांड़ में एक आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया है कि मौजा दुधनियाँ, खाता नं0 53, प्लॉट नं0 60, 254, 257, 258/397, 251, 253 एवं 258 कुल 7 प्लॉट में कुल रकवा 2.62 ए0 उनके परदादा शिबू मांझी के नाम से खतियान में दर्ज है एवं वर्त्तमान में जाली कागज़ात बनाकर तुलसी रजक, पिता खिरू धोबी, ग्राम कर्णपूरा द्वारा जबरन कब्जा कर रसीद कटा लिया है। अतः आवेदकों ने जॉच कर जमीन का विपक्षी द्वारा कटाया गया रसीद रद्द कर आवेदक के पक्ष में जमीन मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, पीरटांड़ द्वारा वाद सं0 1/13–14 कायम किया एवं जॉच हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को आवश्यक निदेश दिया। राजस्व कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के तुलसी रजक, सीताराम तुरी, रामप्रसाद साव एवं अन्य में तुलसी रजक, पिता गिरधारी रजक अपने नाम से इसी खाता में 0.92½ ए0 एवं चंदन कुमार, पिता स्व0 नूनूलाल रजक 0.50 ए0 का केवाला लिए हैं जो खारिज दखिल भी करा लिए हैं परन्तु पंजी II में इनलोगों के नाम से जमाबन्दी नहीं खुला है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि हुकुमनामा देने वाले पालगंज के जमींदार राजा रंगबहादुर सिंह को प्रश्नगत खतियानी जमीन कैसे प्राप्त हुआ है यह ज्ञात नहीं है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि वाद के आरम्भ के समय अर्थात 2013 में किसी पक्ष का जमीन पर कब्जा नहीं है बल्कि पंचायत के द्वारा चेतो मरान्डी को अधबटाई के रूप में सारा जमीन जिम्मा दिया गया है।	

Scanned with CamScanner

अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मोहरी साव वगैरह के हुकुमनामा के अनुसार खाता नं0 53, प्लॉट नं0 60, 251, 253, 254, 257 एवं 258 कुल 6 प्लॉट एवं कुल रकवा 2.62 ए0 प्राप्त है तथा हुकुमनामा में प्लॉट नं0 258/397 रकवा 0.45 ए0 दर्ज नहीं रहने के बावजूद भी हुकुमनामा धारक के वंशजों द्वारा इस प्लॉट की बिक्री की गयी है। हुकुमनामा के साथ एक जमींदारी रसीद के अलावा एक भी सरकारी लगान रसीद नहीं दिया गया तथा हुकुमनामा की वैधता साबित करने के लिए पुत्र एवं पत्नी के नाम से निबंधित केवाला किया गया है तथा बाद में दूसरे खरीददार के पास बिक्री किया गया है। जिससे हुकुमनामा की वैधता एवं सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

अंचल निरीक्षक, पीरटांड़ के प्रतिवेदन की कंडिका 9 से यह स्पष्ट है कि सर्वे खतियान में खाता नं0 53 कुल रकवा 2.62 ए0 आवेदकगण के पूर्वज शिबू मांझी के नाम से दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति के है तथा सर्वे में प्रश्नगत भूमि बेलगान कायमी अधबटाई के रूप में दर्ज है। अंचल निरीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन के कंडिका 9 में यह प्रश्न उठाया कि उन्हें जमींदार द्वारा मोहरी साव वगैरह के नाम से हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्ती से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज, रिटर्न आदि आरोपित रैयतगण नहीं दिखा सके।

अंचल अधिकारी, पीरटांड़ ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2013 में सभी कागजातों का विस्तृत अवलोकन किया है साथ ही कागजातों की प्रति मूल कागजातों से मिलान कर उसकी प्रमाणिकता स्पष्ट किया है।

दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन एवं दोनों पक्षों के द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत तर्को का विश्लेषण तथा अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है।

1. खाता 53 मौजा दुधनियाँ के लगान पाने वाले पोखो राम है, अतः स्पष्ट है कि जमींदार जेनेरल मैनेजर वार्ड एवं इन्कबर्ड स्टेट हजारीबाग को खाता नं0 53 के खेवट नं0 5/2 पर अधिकार नहीं था।

Scanned with CamScanner

2. हुकुमनामा देखने से स्पष्ट होता है कि यह हुकुमनामा 04.03.1925 को जारी किया गया है और इस पर तारीख 4 फागुन 1326 सालफसली भी अंकित है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। हुकुमनामा पर हस्ताक्षर फौर मैनेजर करके किसी और का हस्ताक्षर है, इसलिए प्रथम द्रष्टया यह मान्य नहीं है। एक मात्र जमींदार रसीद वर्ष 11.08.1928 का है जो किस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है स्पष्ट नहीं है। साथ ही यह रसीद फर्द मालिक है तो यह किस परिस्थिति में आसामी रैयत के पास आया, इसकी सम्पुष्टि आवश्यक है। स्पष्ट है कि तत्कालिन जमीन मालिक के द्वारा रैयत को यह रसीद नहीं दिया गया है। दोनों परिस्थितियों में ये दोनों दस्तावेज फर्जी है।

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में उठाये गये उपर वर्णित संदेहों की व्याख्या की जा सकती है।

उपरोक्त विश्लेषणों के उपरान्त द्वितीय पक्ष के द्वारा मौजो दुधनियाँ, खाता नं0 53 से संबंधित जितने भी निबंधित केवाला डीड एवं जमाबंदी का विवरण है वे सभी अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाते है।

चूंकि यह मामला अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित है एवं सर्वे खतियान में राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार बेलगान दर्ज है। अतः अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के लिए यह आवश्यक था कि खाता नं0 53 मौजा दुधनियाँ से संबंधित किसी भी जमाबंदी को कायम करने से पूर्व आवेदकगण को नोटिस देकर उपस्थित करना चाहिए था या समाहर्त्ता अथवा अन्य वरीय पदाधिकारियों से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना चाहिए था। CNT Act के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज बेलगान जमीन का उनसे लगान प्राप्त करने की जिम्मेदारी राजस्व पदाधिकारियों की होती है।

जैसा कि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 2013 से अभी तक प्रश्नगत जमीन का कब्जा द्वितीय पक्ष के पास

Scanned with CamScanner

है।

ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी, पीरटांड़ को निर्देश दिया जाता है कि प्रथमतः आवेदकगण को प्रश्नगत भूमि पर तत्काल कब्जा दिलवाये एवं आवेदकगण के नाम से प्रतिवेदनों के आधार पर जमाबंदी कायम कर राजस्व लगान वसूली करें एवं उभय परिस्थितियों की सूचना अधोहस्ताक्षरी को सम्प्रेषित करें।

आदेश का अनुपालन हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, पीरटांड़ को भेजें।

लेखापित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Scanned with CamScanner